संख्या-53/2026/2864/58-1-2026-54-2002-099-6-2023(1755920)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ: दिनांक 27-08-2026

विषयः- अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह अगस्त एवं सितम्बर, 2026 के लिए हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-275/बा0वि0परि०/पो० एवं स्वा0/2026-27 दिनांक 18-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास में हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-4 9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/00-50-के०+ रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2026-27 के माह अगस्त एवं सितम्बर, 2026 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत कुल रु० 63,14,20,819.00 (रुपये तिरसठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) का जनपदों को अग्रिम आहरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25-10-1983, 10-06-2011 तथा 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31-03-2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत् किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग- 1 के प्रस्तर-162 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

www.shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देश वा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7) निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इस संबंध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।

2-इस संबंध में होने वाला व्यय रु० 63,14,20,819.00 (रुपये तिरसठ करोड चौदह लाख बीस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (कें0-50/रा-50-के0+रा0) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या-E-4-110-X-2026-27 दिनांक: 20-08-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-53/2026/2864(1)/58-1-2026-54-2002-099-6-2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
9. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रोनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।